न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला-भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः- रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः-470/2017 राजस्व वाद

अनवान

1-श्री माधुलाल पिता श्री राम उर्फ रामचन्द्र नाई, उर्म वयस्क, निवासी रेह, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।
— वादी।

बनाम

1-श्रीमति कंचन पुत्री श्री रामा उर्फ रामचन्द्र नाई पत्नि श्री भैरूलाल नाई, उम्र वयस्क निवासी रेह, हाल निवसी ज्ञानगढ, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।
2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा। --प्रतिवादीगण।

वाद बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 (क) राज0काश्तकारी0अधि0 के तहत्

उपस्थितः-

1-वादीगण की ओर से – अब्दुल रशीद पठान

निर्णय दिनांकः 12.06.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा दिनांक 22.10.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल के यहां वाद पत्र अन्तर्गत 88-188-92 (क) रा0का0अधिनियम बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया। वाद पत्र बाद जाच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को विधिवत नोटिस जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त होकर शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में आ जाने से इस न्यायालय में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित पक्षकारान / उनके अधिवक्ता को सुनवाई तारीख हेतु सूचित किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व पूर्व में एक तरफा कार्यवाही के आदेश होने से पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

पत्रावली केम्प ~~टर्निंग~~ पर न्याय आपके द्वार-2018 राजस्व लोक अदालत के तहत प्रस्तुत हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया । वादी श्री माधुलाल पिता रामा उर्फ रामचन्द्र नाई निवासी रेह द्वारा ग्राम रेह मे स्थित अपने संयुक्त खाते की वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित आराजी नम्बर 351 रकबा 1.08 बीघा, आराजी नम्बर 402 रकबा 1.02 बीघा कुल किता 02 रकबा 2.10 बीघा भूमि व अराजी नम्बर 214 रकबा 0.07 बीघा, आराजी नम्बर 244 रकबा 1.03 बीघा, आराजी नम्बर 245 रकबा 1.02 बीघा कुल किता 03 रकबा 2.12 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज आराजी का वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम विलोपित किया जाकर वादी का नाम अंकन कराया जावे। तथा वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित उपरोक्त कृषि आराजियात मे से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज आराजी जिस पर भोतिक आधिपत्य वादी का है जिस पर वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 01 किसी प्रकार की बाधा एवं रूकावट पेदा नही करे न अन्य से करावें तथा उक्त आराजियात को अन्य व्यक्तियो को रहन व बय बख्शीश नही करे। शाति पूर्वक वादी का उपयोग उपभोग करने देवें एंव दौराने वाद यदि प्रतिवादी संख्या 01 उक्त आराजियात को अन्य लोगो को विक्रय रहन बय बख्शीश कर वादी को जबरन बेदखल कर देवे तो पुनः आदेशात्मक आज्ञा के जरिये उक्त आराजीयात का कब्जा वादी को दिलाया जावें एवं वादी के नाम दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान करावें। पत्रावली में वादी ने कब्जे संबंधी राजस्व रेकार्ड के दस्तावेज पेश नहीं किए जिससे वादी का

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेडा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 01 के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त हो। वादी ने साक्ष्य ने तीनों व्यक्तियों के शपथ पत्र पेश किए जो शामिल पत्रावली है। साक्ष्यीगण ने विवादग्रस्त आराजियात पर कब्जाकाश्त वादी का होना बताया जो ठोस प्रमाण नही है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की भूमि पर कब्जे सबंधी कोई ठोस प्रमाण नही होने से वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकार नही है। अतएव

आदेश

वादी का वादपत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किया जाता है। वादी को कोई अनुतोष देय नहीं है। तदनुसार डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रजनी माधीवाल)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–470/2017

अनवान

1–श्री माधुलाल पिता श्री राम उर्फ रामचन्द्र नाई, उर्म वयस्क, निवासी रेह, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।
–– वादी।

बनाम

1–श्रीमति कंचन पुत्री श्री रामा उर्फ रामचन्द्र नाई पत्नि री भैरूलाल नाई, उम्र वयस्क निवासी रेह, हाल निवसी ज्ञानगढ, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा। ––प्रतिवादीगण।

वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 (क) राज0काश्तकारी0अधि0 के तहत

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई हिजरी वकील वादी श्री अब्दुल रशीद पठान मिनजानिब मुददई विपक्षी संख्या 1 एकतरफा मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रकरण में वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत मोजा रेह प0ह0 दहीमथा पर स्थित वादग्रस्त आराजी नं0 351,402 ,214,244,245 खारिज किये जाने से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं दिये जाने बाबत डिक्री प्रदान की जाती है। पालना तहसीलदार करेडा को प्रेषित हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 12.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner